

आज्ञा - पत्र
(नियम-26)

न्यायालय भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आशीष कुमार बनाम लक्ष्मण

मुकदमा संख्या 258 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही/मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तारीख में जारी हुए
14 ² / ₂₀	<p>पत्रावली पेशा हुई। पार्थीने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र मय अधिनस्थ न्यायालय के बाद संख्या 14 सन् 17 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अधिनस्थ न्यायालय उपलव्ध अधिकारी रायपुर में पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद संख्या 14 सन् 17 अन्तर्गत धारा 188 RTA दिनांक 14/2/20 को निर्णित हो चुका है। अपील न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 258/2019 अन्तर्गत धारा 225 RTA अधिनस्थ न्यायालय के प्रकार प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA संख्या 20/2017 आदेश दिनांक 25/5/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। चूंकि प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA मूल वाद का भाग होता है। मूल वाद संख्या 14/17 निरदिनांक 14/2/20 से खारिज हो चुका है। ऐसी सूरत में धारा 212 RTA का प्रार्थना पत्र 20/2017 के विरुद्ध विचाराधीन अपील संख्या 258/2019 का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अतः वाद के निर्णित हो जाने से अपील</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र

लेख्या 258/2019 खातिज की जाती
है। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया।
पतावली पैसल शुमार होकर गम्बर से
कम हो।



(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

